प्र.क. आर– /13

प्रस्तुती दिनांक 11/09/2013

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

R 3833-II/13

भेरूसिंह उर्फ भेरूलाल पिता स्व. श्री हीराजी

निवासी – ग्राम कल्याणपुरा तह. बदनावर जिला धार .... प्रार्थी

विरूद्ध

1. मनोहरलाल पिता स्व. श्री हीराजी
   निवासी – ग्राम कल्याणपुरा तह. बदनावर जिला धार
   हा.मु. – ग्राम काण्डरवासा तह. एवं जिला रतलाम
2. प्रभुलाल पिता शंकरलाल
   निवासी -- धतुरिया तह. व जिला रतलाम .... विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क. 637/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 02.09.2013 जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है उक्त आदेश से व्यथीत व असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3833–II / 2013 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
20–8–2014	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें स्थगन बढ़ाये जाने के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक की ओर स यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राह्य की जाकर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, अतः इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन दिये जाने के पश्चात कोई भी कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है, क्योंकि प्रकरण का गुण–दोष का निराकरण अपर आयुक्त के द्वारा ही किया जाना है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मंगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11–9–13, 90 दिवस के लिए यथावत जारी रखा जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को गुण–दोष पर निराकरण हेतु भेजा जाता है । इस निगरानी में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	